सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या– 166 / 28–1–2001

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

उत्तरॉचल समन्वय अनुभाग –1 दिनॉक: लखनऊ: 14 मार्च ,2001

विषयः–उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा –76 के अन्तर्गत राज्य परामर्शीय समिति का गठन एवं उत्तरॉचल तथा उत्तर प्रदेश के बीच कार्मिकों का अन्तिम आवण्टन ।

महोदय,

कार्यालय ज्ञाप संख्या–193 / का–1–2001 दिनॉक 02 मार्च, 2001 के द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा –76 के अन्तर्गत कार्मिकों के उत्तरॉचल व उत्तर प्रदेश के मध्य अन्तिम आवण्टन करने के लिए व सम्बन्धित कर्मचारीगण के प्रत्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार करने के लिए राज्य परामर्शीय समिति का गठन किया गया है । कार्यालय ज्ञाप में समिति के उद्देश्य व कार्यकलापों की निश्चित समय–सारिणी निर्धारित की गई है । इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति सभी प्रमुख सचिवों / सचिवों को भी पृष्ठॉकित की गई थी ।

2. भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या–12012 / 32 / 2000 –एस0आर0 दिनॉक 6–11–2000 द्वारा निम्न प्रकार के कर्मियों का उत्तरॉचल हेतु अनन्तिम आवण्टन धारा –73 (1) के अन्तर्गत किया गया हैं :–

(i) वह कर्मचारी जिसके नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरॉचल राज्य के 13 जनपदों में कोई जनपद स्तरीय अधिकारी हैं ।

(ii) वह कर्मचारी जिसके नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरॉचल राज्य के गढ़वाल अथवा कुमायूँ मण्डल के मण्डल स्तरीय अधिकारी हैं ।

(iii) वह कर्मचारी जो पर्वतीय उप–संवर्ग में शामिल है । पर्वतीय उप संवर्ग में शामिल होने का तात्पर्य यह है कि कर्मचारी विकल्प अथवा नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के आधार पर पर्वतीय उपसंवर्ग में सम्मिलित किया गया है ।

(iv) वह कर्मचारी जो किसी ऐसे संवर्ग अथवा विभाग में है जिसका कार्य एवं क्षेत्र सिर्फ उत्तरॉचल क्षेत्र में अवस्थित है ।

3– उत्तर प्रदेश शासन के पत्रसंख्या–1134 / का–1 / 13(12) / 2000 दिनॉक 6 नवम्बर 2000 के द्वारा उत्तरॉचल राज्य के लिए राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवण्टन की नीति प्रसारित की गई थी । इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभाग व विभागाध्यक्षों द्वारा बहुत से कर्मचारियों का अनन्तिम / अन्तिम आवण्टन उत्तरॉचल राज्य के लिए भारत सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया है ।

4— ज्ञातव्य है कि राज्य परामर्शीय समिति को प्रथमतः दोनों राज्यों के बीच विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के पृथक पृथक संवर्गों के पदों का विभाजन दोनों राज्यों मध्य करना है । द्वितीय समिति द्वारा समस्त कर्मचारियों को उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य अन्तिम रूप से आवण्टित करने हेतु अनन्तिम सूची को तैयार कर परिचालित कराया जाना है । यह दोनों कार्यवाही दिनॉक 15–4–2001 तक पूर्ण की जानी है । इस हेतु सभी विभागों से आवश्यक सूचनायें प्राप्त की जानी आवश्यक है । इस हेतु 3 प्रपत्र P1, P2 एवं P3 निर्धारित किये गये हैं ।

5— प्रपत्रों पर सूचना अंकित करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण निम्नवत् हैं :–

(i) प्रत्येक विभाग के प्रत्येक विभागाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग की अलग एवं पृथक पृथक शीट होगी ।

(ii) संवर्ग का तात्पर्य राज्य सेवा संवर्ग है। अर्थात वह संवर्ग जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी शासन अथवा विभागाध्यक्ष है तथा जिसकी सेवायें सम्पूर्ण अविभाजित उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरणीय है। अतः इसमें वे जिला, मण्डलीय अथवा क्षेत्रीय संवर्ग शामिल नही है जिनके नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तर, मण्डलीय/ क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी है तथा जिनकी सेवायें सम्पूर्ण अविभाजित उत्तर प्रदेश स्थानान्तरणीय नहीं है।

(iii) जिन संवर्गो में पर्वतीय उप संवर्ग गठित नहीं है वह सूचना प्रपत्र P1 पर दी जायेगी। जिन संवर्गो में पर्वतीय उप संवर्ग गठित है वह सूचना प्रपत्र P2 पर दी जायेगी । प्रपत्र P1 एव P2 स्वीकृत / सृजित पदों के सम्बन्ध में है ।

(iv) प्रपत्र P3 में सूचना प्रत्येक विभाग के प्रत्येक विभागाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग अलग शीट पर प्रस्तुत की जायेगी । इस शीट में उस संवर्ग के उन सभी कर्मचारियों के नाम अंकित किये जायेगें जिन्हे विकल्प के आधार पर उत्तरॉचल राज्य को आवण्टित किया गया है अथवा आवण्टित किया जाना प्रस्तावित है ।

(v) प्रपत्र P3 में सर्वप्रथम उन संवर्गो की सूचना दी जायेगी जिनके पर्वतीय उप सवंर्ग गठित नहीं है । अर्थात् प्रपत्र P1 के संवर्ग के संबंध में उत्तरॉचल आवंण्टित किये जाने वाले अथवा किये गये कर्मचारियों की सूचना । इसके पश्चात् प्रपत्र P3 में उन संवर्गो की सूचना दी जायेगी जिनमें पर्वतीय उप संवर्ग गठित है। किन्तु ऐसे संवर्गो में मात्र उन कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी जो हरिद्वार जनपद के पदों पर आबंटित किये गये है अथवा किये जाने प्रस्तावित है ।

(vi) इस प्रकार यह पुनः स्पष्ट करना है कि प्रपत्र P3 में पर्वतीय उप संवर्ग में शामिल कर्मचारियों के नाम नहीं दिये जाने हैं ।

(vii) प्रपत्र P3 में पदनाम / ग्रेड उसी क्रम में दर्शाया जाय जैसे प्रपत्र P1 अथवा P2 में दर्शाया गया है ।

(viii) किसी एक पदनाम / ग्रेड के सभी कर्मचारियों की सूची एक साथ अंकित की जाय ।

(ix) ग्रेड का तात्पर्य एक उदाहरण से दिया जा रहा है पी0सी0एस0 संवर्ग में पदों के आवण्टन ग्रेड यथा सीनियर स्केल, सेलेक्शन ग्रेड आदि के आधार पर किये जाते हैं । तदनुसार उपलब्ध स्थिति के अनुसार पदनाम अथवा ग्रेड का इस्तेमाल किया जाय ।

(x) प्रपत्र P1, P2 में श्रेणी का तात्पर्य क, ख, ग, घ श्रेणी से है ।

(xi) प्रपत्रों पर सूचनायें सिर्फ राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में दी जानी है। निगमों, स्वायत्त संस्थाओं अथवा निगमित निकायों के कर्मचारियों को शामिल नही किया जाना है।

6— उक्त तीन प्रपत्रों को उसी प्रकार बनाया जाये जैसे इस पत्र के संलग्नक में दर्शाये गये है। यह सूचना कम्प्युटर प्रोग्राम MICROSOFT EXCEL व KrutiDev FONT पर तैयार की जाये।

7— उक्त तीन प्रपत्रों पर सभी विभागों की सूचनायें विलम्बतम दिनांक 30—3—2001 तक उत्तरांचल समन्वय विभाग को उपलब्ध करा दी जाय। प्रपत्र की एक हार्ड कापी व फ्लापी साथ साथ उपलब्ध कराई जाय ताकि समिति के लिए सूचनाओं का संकलन सुविधानुसार किया जा सके।

8— यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सूचनायें समयबद्व तरीके से उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव की होगी। उचित होगा कि यदि वे अपने अधीन विभागाध्यक्षों के साथ बैठक भी कर लें ताकि सूचना के बनाने में किसी भी प्रकार की शंका न रहे व प्रश्नों का समाधान किया जा सके एवं निर्धारित समय के भीतर सूचनायें प्राप्त की जा सके।

9— समस्त प्रपत्रों पर सूचनायें विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव के हस्ताक्षर से उत्तरांचल समन्वय विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

10— यदि इस कार्य में किसी प्रकार की शंका अथवा असुविधा हो तो उसका समाधान उत्तरांचल समन्वय विभाग के सचिव/संयुक्त सचिव से विचार विमर्श कर समाधान किया जा सकता है।

11— कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(भोला नाथ तिवारी)
मुख्य सचिव